

6034

I 5601 200Rs.



Admissible under Rule 21, also
under section 5(1) of the W.B.L.R.
Act, 1935, duly stamped since not
required to pay duty under the Indian
Stamp Act, 1899 Schedule IA No.....
Fee Paid Rs..... A 165-A
Fee Paid Rs..... in c.p.m.

ADDITIONAL DISTRICT SUB-REGISTRAR
GOSSIMUR TUM DURL NOTHI 24 PARGANA

Registration No. 165-A
Date Received

महाराष्ट्र राज्य कानून अनुसार इसका उपयोग विवाह एवं विवरणीय दस्तावेज़ के लिए ही किया जाना चाहिए। इसका उपयोग अन्य कानूनों के अनुसार विवाह एवं विवरणीय दस्तावेज़ के लिए नहीं किया जा सकता।


A 165-A
16000-

महाराष्ट्र राज्य कानून अनुसार इसका उपयोग विवाह एवं विवरणीय दस्तावेज़ के लिए ही किया जाना चाहिए। इसका उपयोग अन्य कानूनों के अनुसार विवाह एवं विवरणीय दस्तावेज़ के लिए नहीं किया जा सकता।

200Rs.



200Rs.



10
D. G. B. M. S.
S. D. S. S.
S. D. S. S.
S. D. S. S.
S. D. S. S.

(ग्रन्थ का नाम - श्री विद्यालय कालेज एवं महाविद्यालय कालेज - असम)
प्रधान प्रशिक्षक एवं अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
सर्ग अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
नियुक्ति का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
मुख्य अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
प्रबन्ध अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰
प्रबन्ध अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰
(ग्रन्थ का नाम - श्री विद्यालय कालेज - असम)
प्रधान प्रशिक्षक एवं अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
नियुक्ति का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
मुख्य अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰
प्रबन्ध अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰
(ग्रन्थ का नाम - श्री विद्यालय कालेज - असम)
प्रधान प्रशिक्षक एवं अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
नियुक्ति का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र
मुख्य अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰
प्रबन्ध अधिकारी का नाम - डॉ. बाबू चन्द्र²⁸⁰

50 Rs.



8

2. *Leptopeltis*
leptopeltis

8

G. Paganini's Violin Concerto No. 4.

ஒன்றை விடுவதற்கு முன் நான் தான் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை விடுவதற்கு முன் நான் தான் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை விடுவதற்கு முன் நான் தான் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன்.

Stargazing works

2-20-2 यह एक विशेष अधिकारी का नाम है जो कि उसके द्वारा बनाये गये सभी अधिकारों का नियंत्रण करता है। इसका उपयोग आमतौर पर विशेष अधिकारी को अपने द्वारा बनाये गये सभी अधिकारों का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर विशेष अधिकारी को अपने द्वारा बनाये गये सभी अधिकारों का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है।

५ जूलाई १९४८
सिलेन्स प्रेस

२४-३-२० गोपनीय विश्वास का अधिकारी विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२२ विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२३; विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२४ विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२५ विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२६ विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२७ विश्वास का अधिकारी
विश्वास का अधिकारी - २२८ विश्वास का अधिकारी

विश्वास का अधिकारी

२२० - २२१ -

विश्वास का अधिकारी - २२२ -

विश्वास का अधिकारी - २२३ -

विश्वास का अधिकारी - २२४ -

→ तम

त्रिपाल घण्टवांश एवं
दीन बांधुनाथ

परगुता - ५१

(गोपनीय)
विश्वास का अधिकारी -
विश्वास का अधिकारी -
विश्वास का अधिकारी -
विश्वास का अधिकारी -

Sushilkumar Chakrabarty
of Manikpur
Cal - 51